FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

अमीलाल उर्फ धूडाराम बनाम भूमिधारी

किस्म मुकदमा दावा मु०नं० सन् 2021 जीसीएमएस नं.

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
09-07-2021	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वाद पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 19.07.2021 को पेश हो। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
19/7/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी का सम्मन तामील या अदम तामील नहीं लौटा है। इन्तजार तामील पत्रावली दिनांक 3/8/2021 को पेश हो।	
3/8/21	पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी / वादी उप०। प्रतिवादी बाद सम्यक तामील अनु०, अतः प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। बतौर साक्ष्य शपथ पत्र पूर्व से पत्रावली में पेश है। अतः बहस एक पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय 18-8-21 को पेश हो।	
18/08/2021	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी हैं। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम	

दीपावास पटवार हल्का दीपावास के भूमि खाता संख्या 142 जमाबन्दी सम्वत 2075–78 में वादी के नाम 1/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज हैं। उक्त भूमि का क्रय वादी के पक्ष में उसके परिवारजनों ने द्वारा विक्रय पत्र किया था। उस समय वादी की उम्र कम थी व उसके बोलते नाम धूछाराम पुत्र मालाराम के नाम से उक्त भूमि का पंजीयन करवाया गया। वादी का सही नाम अमीलाल पुत्र मालाराम है अतः अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का नाम धूडाराम पुत्र मालाराम के स्थान पर सही नाम अमीलाल पुत्र मालाराम दर्ज किया जावें। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, विद्यालय स्थानान्तकरण प्रमाण पत्र, पिछडी जाति प्रमाण पत्र व राशन कार्ड की प्रतियां एवं बतौर साक्ष्य सह खातेदार रामसहाय पुत्र मूलाराम व जगदीश पुत्र मूलाराम के तस्दीकशुदा शपथ पत्र पेश किये।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात व बतौर साक्ष्य सह खातेदार रामसहाय पुत्र मूलाराम व जगदीश पुत्र मूलाराम के तस्दीकशुदा शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम धूडाराम पुत्र मालाराम अंकित है। वादी का कथन कि वादी का नाम का सही नाम अमीलाल पुत्र मालाराम है की पुष्टि मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, विद्यालय स्थानान्तकरण प्रमाण पत्र, पिछडी जाति प्रमाण पत्र व राशन कार्ड की प्रतियां से होती है तथा बतौर साक्ष्य सह खातेदार रामसहाय पुत्र मूलाराम व जगदीश पुत्र मूलाराम के तस्दीकशुदा शपथ पत्र से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वादपत्र वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम दीपावास पटवार हल्का दीपावास स्थित भूमि खाता संख्या 142 में दर्ज खातेदार **धूडाराम पुत्र मालाराम** के स्थान पर **अमीलाल पुत्र मालाराम** दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)